

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक पं. 5(2)कार्मिक/क-2/91 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 6.6.2016

शुद्धि पत्र

विषय:—राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 में
संशोधन के संबंध में।

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5.12.1992 जो राजस्थान
राजपत्र विशेषांक दिनांक 5.1.93 भाग 4(ग) उपखण्ड (I) जी.एस.आर 41 के अधीन
पृष्ठ-103(1) से 103(33) पर हिन्दी भाषा में प्रकाशित हुई है, में नियम-23 के उप
नियम-2 में दूसरी पंक्ति में शब्द "प्राधिकारी" एवं शब्द "का" के मध्य प्रयुक्त शब्द
"यथा स्थिति" को शब्द "यथास्थिति" पढ़ा जावे।

आज्ञा से


(ओ० पी० गुप्ता)
शासन संयुक्त सचिव

22/2016